संख्या बी–2– 1655/दस–2014–1–2014

प्रेषक,

लहरी यादव,
वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2 लखनऊ दिनांक 24 अप्रैल, 2014

विषय–तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत नगरीय स्थानीय निकायों हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक में लेखानुदान अवधि के लिये व्यवस्थित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 8/3076–2110/152(6)/ तृ0रा0वि0आ0/2014–15 दिनांक 22 अप्रैल, 2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जो वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या बी–2/1415–2014–1–2014 दिनांक 02 अप्रैल, 2014 द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–2015 में अनुदान संख्या–61 से तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत नगरीय स्थानीय निकायों के लिये स्वीकृत धनराशि **रूपये 1867.25 करोड़ (रूपये एक हजार आठ सौ सड़सठ करोड़ पच्चीस लाख मात्र)** के कोषागार से आहरण हेतु प्रतिहस्ताक्षर किये जाने से सम्बन्धित है।

2– इस संबंध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि कि यदि निकायों के लिये आवंटित धनराशि का आहरण, जनपद कोषागार से किया जाना है तो धनराशि को कोषागार से आहरित करने के लिये बिल, नगर निगमों हेतु संबंधित मण्डलायुक्त एवं नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों हेतु संबंधित जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा ।

शासनादेश संख्या बी–2/1415–2014–1–2014 दिनांक 02 अप्रैल, 2014 की अन्य शर्ते यथावत् रहेगी।

भवदीय,

(लहरी यादव)
वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं
विशेष सचिव।

संख्या : बी–2– 1655(1)/दस–2014–1/2014, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2– निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3– वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
4– वित्त (व्यय–नियन्त्रण) अनुभाग–8, उत्तर प्रदेश शासन।
5– नगर विकास अनुभाग–9, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

(लहरी यादव)
वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं
विशेष सचिव।